कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401

Telefax – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – दिनांक –

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय– मेसर्स सी.सी.एल, राँची द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत आम्रपाली चन्द्रगुप्त एरिया में आम्रपाली खुली खदान कोल परियोजना फेज–II हेतु 431.59 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1463 दिनांक 06.12.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 105 दिनांक 17.01.2022 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया है। अनुपालन की स्थिति निम्नवत है–

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण की स्थिति
1	पूर्व में आम्रपाली परियोजना हेतु अपयोजित वनभूमि का रकबा, अपयोजित वनभूमि की KML File	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा बिन्दु संख्या–1, 2, एवं 3 के अनुपालन में संशोधित KML File CD में राईट कर संलग्न किया गया है।
2	आम्रपाली परियोजना की पूर्ण KML File, समर्पित File का, Polygon Close नहीं है।	
3	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 12 Patch में है। Patch No. 01 एवं 02 के बीच में Forest Area छुटा हुआ है। उसको शामिल नहीं करने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।	
4	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की KML File को अलग–अलग रंगो में दर्शाया जाय ताकि Project boundary की KML पूर्व में अपयोजित वनभूमि की KML तथा प्रस्तावित वनभूमि की KML Files को Superimpose करने पर Field की स्थिति पूर्णतयः स्पष्ट हो।	इस शर्त के अनुपालन में पूर्व में अपयोजित वनभूमि की KML तथा प्रस्तावित वनभूमि की KML Files को अलग–अलग रंगो से दर्शा दिया गया है जिसकी सी.डी. संलग्न है।
5	परियोजना में पड़ने वाली कुल भूमि, सन्निहित अधिसूचना वनभूमि / Deemed Forest/ Raiyati/GM land को अंकित करते हुए पूर्व में अपयोजित भूमि तथा प्रस्तावित भूमि का एक Chart प्रस्तुत किया जाय, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।	इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस परियोजना में कुल– 1298.98 हे0 है जिसमें से 531.64 हे0 वन भूमि अपयोजित किया जा चुका है एवं 431.59 हे0 वन भूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित है जिसकी पूर्ण चार्ट संलग्न है।

6	परियोजना में अपयोजित के लिये प्रस्तावित वनभूमि में एक सड़क स्पष्ट है। समीक्षा में बताया कि होन्हे से सराढु रोड के लिए 13.70 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव समर्पित है। उस प्रस्ताव में इस सड़क को शामिल किया गया है। स्थिति स्पष्ट की जाय।	इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि होन्हे से सराढु तक 13.70 हे0 वनभूमि के पथ निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति के पूर्व ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य किया गया है।
7	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित वनभूमि में घनत्व अधिक दिखाई पड़ रहा है समीक्षा में बताया गया कि Gross Areaएवं Net Area में अंतर है। Net Area वांछित Area के बराबर है। सभी selected patches के Gross area एवं Net Area को स्पष्ट किया जाय तथा Sutaibility Certificate अपेक्षित है। CA land का Tabular Format में उपयोगिता प्रमाण–पत्र अपेक्षित है।	इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा दृष्टिगत त्रुटियों का निराकरण करते हुए संशोधित डी0जी0पी0एस0 मैप, उपयुक्तता प्रमाण–पत्र, दस वर्षीय प्राक्कलन, टोपोमैप ऑनलाईन प्रस्ताव में अपलोड कर दिया गया है। जिसमें एक मौजा महुदा के स्थान पर उलातु उर्फ सिमरातरी परिवर्तित किया गया है जिसका पूर्ण विवरणी एवं संबंधित अभिलेख संलग्न है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा समर्पित संशोधित मैनुअल एवं ऑनलाईन पार्ट–1एवं II परिवर्तित स्थल उलातु का DGPS Map, Topomap, Sutaibility, Estimate की छः प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

आपका विश्वासी,

ह0/–
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

ज्ञापांक – 62 दिनांक – 25-01-2022

प्रतिलिपि – प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 1463 दिनांक 06.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ समर्पित।

25/01/22

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।